

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02256/2021-2022

दिनांक 09/02/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/CHN/15523/2021-2022

पत्रावली संख्या: V-24188 दिनांक: 2001-2002

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वृजनन्दनी कान्वेन्ट स्कूल शिक्षा समिति, प्रा० व पो० चहनीयों, तह० सकलडीहा, जिला-चन्दौली, उ.प्र. 232109, चन्दौली, 232109 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 136/2001-02 दिनांक-
14/05/2001 को दिनांक-14/05/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1500 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(YOGESH CHANDRA TRIPATHI)
36C7B82300AB23E1B5B4ADB4A0050C19FC523A42
Date: 09/02/2022 2:00:28 PM, Location: Varanasi.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-09/02/2022

प्रिय उत्तर प्रदेश
Birju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)



ना चरहे देह पैषर अति न त्रिष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु

काँच नं ८१२४१८८०१ दिन ५१३ अगस्त १९५० विष्णु



खालील ब्रज
मर्म कोलाइटीज एवं जिला
ब्रजपुरासी
१९५०-१९५१

बिराजु प्राप्त अग्रहारी
Biraju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)



पाँच रुपये

V 2410850



प्रिन्दनी कॉलेज
कालीगंगा चांदौली
20.2.75

प्रिन्दनी कॉलेज
Biraju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)

:-सूची-फ-:-

- 1- संस्था का नाम :-
- 2- संस्था का पता :-
- 3- संस्था का कार्यक्रम :-
- 4- संस्था का उद्देश्य :-

बृन्दावनी कनवेन्ट स्कूल शिक्षा समिति।

ग्रा. व पो. चहानीया, तह. तकलीडोहा, जिला- पन्दीती।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य होगा :-

1) बातक-बालकाओं के ईश्वरीय विकास के लिये नतेरो, प्राइमरी, बूनियादी हाइस्कूल, हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालय की स्थापना करना, तथा उसे संचालित करना।

2) ज्ञान-पज्ञान, भौतिक, शारीरिक, मानोसेक शिक्षा प्रदान कर एवं तुष्टीय नागरिक बनाना।

3) नवोन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का समीक्षित व्यवस्था करना।

4) तदापार तथा आध्यात्मिक विकास के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

5) निधन जलहार तथा ऐपावी छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय सहायता तथा छात्रपूत्रित आदि की तुष्टीय उपलब्ध कराना।

6) खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन व तंचालन करना।

7) निरापत्ति लागां का ताक्षर बनाने के लिये प्रोट्रोक्सा द्वारा व्यवस्था करना।

8) प्रबंधकालीन समिति के पदाधिकारों एवं सदस्यों के नाम, पिता, पता, पद एवं व्यवसाय और जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार संपादित करना है :-

----2 पर

८२५८ ५८५३५४४७

१३/१४/१९७५

बिरुद्ध प्रसाद आग्रही
Biraju Prasad Agrahani
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)
22/8/75

बिरुद्ध प्रसाद आग्रही

११/५०८/८८

११/५०८/८८

बिरुद्ध प्रसाद आग्रही

क्र. सं. नाम/पिता	पता	पद	वयवसाय
१-श्री तिरु प्रसाद अग्रहरी	ग्रा. व पो. चहनिया, चन्दौली।	अध्यक्ष	कृषि
पुत्र स्व० सन्तू प्रसाद अग्रहरी			
२-“विरु प्रसाद अग्रहरी		प्रबंधक	
पुत्र स्व० सन्तू प्रसाद अग्रहरी			
३-“श्रीनाथ प्रसाद		वाराणसी	सदस्य
पुत्र रामचन्द्र			
४-“कृष्ण कुमार पुत्र	सैयदराजा, चन्दौली।		
श्री कृष्ण			
५-“गोप्य पुत्र	ग्रा. व पो. इमौसी, चन्दौली।		
श्री साहू प्रसाद			
६-“गम्भू प्रसाद पुत्र		गाजीपुर	
श्री गम्भू			
७-“रामचन्द्र प्रसाद			
श्री रामचन्द्र			

6- हम निम्न हस्ताक्षर लर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र स्वं संग्रह नियमाखली के अनुसार सोसाइटी रण्यो रक्ट 21। सन् 1860 के अन्तर्गत पर्याप्त कराना चाहते हैं :-

क्र. सं. नाम	पता	हस्ताक्षर,
१-श्री तिरु प्रसाद अग्रहरी	ग्रा. व पो. चहनिया, जिला-चन्दौली।	१८६०/११३२१
२-“विरु प्रसाद अग्रहरी		१८६०/११३२२
३-“श्रीनाथ प्रसाद		१८६०/११३२३
४-“कृष्ण कुमार	सैयदराजा, जिला- चन्दौली।	१८६०/११३२४
५-“गोप्य	ग्रा. व पो. इमौसी, जिला- चन्दौली।	१८६०/११३२५
६-“गम्भू प्रसाद		१८६०/११३२६
७-“रामचन्द्र प्रसाद		१८६०/११३२७

दिनांक २५.२००

बिरु प्रसाद अग्रहरी
Birju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)

सदस्य प्रतिलिपि

:- नियमावली - :-

१- संस्था का नाम :-

बृजनन्दनी कानेंट स्कूल शिक्षा समिति।

२- संस्था का पता :-

ग्रा. व पो. चहनिया, तह. सकलडीहा, जिला-चन्दौली।

३- संस्था का कार्यक्रम :-

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

४- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी :-

अ) आजीवन सदस्य :-

वे व्यक्ति जो संस्था को 500/- पॉच सौ रुपया नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति स्क बार में देंगे, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

ब) सामान्य सदस्य :-

वे व्यक्ति जो संस्था को 51/-रुपबा वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे, वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।

स) विशिष्ट सदस्य :-

वे समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को सुधार रूप से संवालन के लिये तन, मन स्वं धन से पूर्ण रूपेण सहयोग प्रदान करेंगे, वे संस्था के प्रबंधसमिति के 2/3बहुमत से विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर लिये जायेंगे।

५) सदस्यता की स्पाईज़ :- निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता स्पाई समझी जायेगी :-

१) किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।

२) किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर।

३) किसी सदस्य के पागल या दीवालिया होने पर।

४) किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

५) किसी सदस्य के संस्था के विहृद हानिकारक कार्य करने पर।

६) किसी सदस्य के निर्धारित शुल्क जमा न करने पर।

७) किसी सदस्य के बिना कारण बताये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

८) संस्था के अंग :-

संस्था के दो अंग होंगे :-

अ) साधारण सभा

ब) प्रबंधसमिति।

९) साधारण सभा :-

संस्था के तभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नम्बर चार के जरुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

अ) गठन :-

ब्रिजनन्दनी अग्रहारी
Biraju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)

संस्था प्रतिलिपि

११) बैठकें :-

साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष/आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय हुनाई जा सकती है।

१२) सूचना अधिकारी :-

साधारण सभा के सामान्य बैठक अर्थ की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष/आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय हुनाई जा सकती है।

१३) गणपूर्ति :-

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम $2/3$ उपस्थिति में साधारण सभा के सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

१४) वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का वार्षिक अधिवेशन 26 जनवरी पर हर वर्ष हुआ करेगी। संस्था के कार्यालय पर।

१५) साधारण सभा के अधिकार स्वं कर्तव्य :-

११) संस्था के गत वर्ष के बजट स्वं कार्यक्रमों आदि पर विचार करना, तथा आगामी वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

१२) संस्था के प्रबंधकालिणी समिति के पदाधिकारियों स्वं सदस्यों का चुनाव नियमानुसार करना।

१३) संस्था के नियमों स्वं विनियमों में नियमानुसार संशोधन स्वं परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

१४) प्रबंधकालिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।

१६) प्रबंधकालिणी समिति :-

गठन :-

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से प्रबंधकालिणी समिति का गठन किया जायेगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा प्रबंधकमिति हो पाँच सदस्य होंगे।

१७) बैठकें :-

प्रबंधकालिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा विशेष/आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय हुनाई जा सकती है।

१८) सूचना अधिकारी :-

प्रबंधकालिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व तथा विशेष/आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से दो दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

१९) गणपूर्ति :-

प्रबंधकालिणी समिति के सभी पदाधिकारियों स्वं उपस्थिति में सभी बैठकों से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों जायेगी।

लिखा-प्रसाद अग्रहारी
Brijendra Prasad Agrahari

Manager

Brijnandani Govt. School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)

खस्त्य प्रति लाप्ति

15/1/2018

— ३ — पर

१४) रिक्त स्थानों की पूर्ति :- प्रबंधकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारि या सदस्य का स्थान रिक्त होते पर साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत से ऐसे अधिक के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का दुनाव लट लिया जायेगा।

१५) प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार स्वं कर्तव्य :-

११) संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

१२) संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।

१३) संस्था के लिये सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों स्वं वित्तीय संस्थाओं आदि से अनुदान, दान, चन्दे आदि को प्राप्त करना।

१४) वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति आदि के लिये निर्णय लेना।

१५) संस्था के लिये चल-अचल सम्पत्तियों की व्यवस्था करना।

१६) अन्य सभी कार्यों का संचालन करना जो संस्था के हित में जावश्यक हो।

१७) कार्यकाल :-

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से पाँच वर्ष का होगा।

१८) प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार स्वं कर्तव्य :-



११) संस्था के साधारण सभा स्वं प्रबंधकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

१२) किसी भी विद्यारणीय विषय पर समान मत होने पर एक अलग से निश्चय मत देना।

१३) बैठक करने के लिये प्रबंधक के राय से दिनांकों का अनुमोदन करना, तथा उसमें परिवर्तन करना।

१४) अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो वियमानुसार मान्य होंगे।

पूर्वान्धक :-

११) संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे स्वं सदस्यता द्वालक आदि को प्राप्त करना।

१२) आवश्यकतानुसार सामान्य स्वं विषेष/ आवश्यक बैठक बोर्ड को रम के अभाव में बैठकें स्थगित करना।

१३) बैठक करने के लिये सूचनाये देना तथा बैठक के लिये विद्युत लिखना।

पीरुष्प्रसाद अग्रहरी

Biraju Prasad Agrahari

Manager

Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandaon (U.P.)

संस्था प्रतिलिपि वर्णी को लिखना।

॥४॥ संस्था से संबंधित कागजातों, प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।

॥५॥ वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना।

॥६॥ वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुगासनात्मक कार्यवाही करना।

॥७॥ आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करवाना तथा आडिट के लिए अनुमति देना।

॥८॥ संस्था के विकास स्वं विस्तार के लिये सम्पर्क स्थापित करना तथा संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

॥९॥ अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।

॥१०॥ संस्था के समस्त धनराशियों का रसीदें रखना।

॥११॥ संस्था के समस्त खातों की जिम्मेदारी बहन करना, तथा उनका आवतन लेखा-जोखा मुक्कमल रखना।

॥१२॥ संस्था के समस्त जाय को बैंक में जमा करना।

॥१३॥ समय-समय पर संस्था के हित में आवश्यकत हुआव व निर्देश देना।

॥१४॥ अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।

॥१०॥ संस्था के नियमों स्वं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण समा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों स्वं विनियमों में नियमानुसार संशोधन स्वं परिवर्तन किया जायेगा।

किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था का समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा, जिसका संचालन प्रबंधक के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

॥११॥ संस्था के आय-व्यय का लेखापरीक्षण[आडिट] :-

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबंधकाली समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखापरीक्षण कराई जायेगी।

॥१२॥ संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :- Manager
Brijnandani Convent School
संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अवाक्षता का विवाह
के संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक पर होगा।

मुख्य प्राप्ति लिखा

निरुप्रसाद अग्रहरी
Birju Prasad Agrahari
Brijnandani Convent School
Chitrakoot-Chandauli (U.P.)

१५।

१४। संस्था के अभिलेख :- संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे :-

- १। कार्यवाही रजिस्टर
- २। सदस्यता रजिस्टर
- ३। स्टाक रजिस्टर
- ४। कैशबुक आदि होंगे।

१५। संस्था के विघटन :-

संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक २५-८-२०८१

हस्ताक्षर,

— बिरजु प्रसाद अग्रहारी —

— बिरजु प्रसाद अग्रहारी —



— बिरजु प्रसाद अग्रहारी —
 Biraju Prasad Agrahari
 Manager
 Brijnandani Convent School
 Chahaniya-Chandauli (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि

अध्यक्ष गोपनीय